

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत

1. श्रीमती पार्वती देवी पति स्व. यदुनन्दन साव निवासी ग्राम: कुमरांगखुर्द, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1381 दिनांक.10.5.2003 के तहत ग्राम: कुमरांगखुर्द, थाना सं: 51 (रैयती) खाता सं. 3 के अधीन प्लॉट सं. 54, कुल रकबा 0.18 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में **मुआवजा** का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।

क. ऊपर उल्लेखित खाता स. 3, प्लॉट न. 54 जिसका रकबा 0.18 एकड़ है जिसे केवाला स. 2970 दिनांक 15.6.1988 के माध्यम से श्रीमती पार्वती देवी पति स्व. यदुनन्दन साव के द्वारा मोस्मात सहोदरा देवी उर्फ रुनवा देवी पति स्व. तेजनाथ साव से खरीदगी की गयी थी।

2. बसंत कुमार पिता स्व. यदुनन्दन साव, निवासी ग्राम: कुमरांगखुर्द, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 1381 दिनांक.10.5.2003 के तहत ग्राम: कुमरांगखुर्द, थाना सं: 51, (रैयती) खाता सं. 3 के अधीन प्लॉट सं. 6, 16, 27, 54, 56, 59, 72, 77, 89, 93 एवं 117, कुल रकबा 1.005 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में **मुआवजा** का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।

क. ऊपर उल्लेखित खाता स. 3, प्लॉट न. 6, 16, 27, 54, 56, 59, 72, 77, 89, 93 एवं 117, कुल रकबा 1.005 एकड़ है और यह भूमि खतियानी है और खतियानी रैयत काशी महतो पिता गणेश महतो है एवं वंशावली के अनुसार उल्लेखित भूमि बसंत कुमार पिता स्व. यदुनन्दन साव के हिस्से में आती है।

अगर उक्त **मुआवजा** पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: कुमरांगखुर्द, थाना सं: 51; जिला :- चतरा, खाता सं. 3 के अधीन प्लॉट सं. 54 कुल रकबा - 0.18 एकड़, रैयती भूमि, एवं खाता स. 3, प्लॉट सं. 6, 16, 27, 54, 56, 59, 72, 77, 89, 93 एवं 117, कुल रकबा 1.005 एकड़ रैयती भूमि, जो श्रीमती पार्वती देवी पति स्व. यदुनन्दन साव एवं बसंत कुमार पिता स्व. यदुनन्दन साव, जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के **भूमि-मुआवजा प्रस्ताव** पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

(sd/-)

महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व),

सी.सी.एल, राँची

